आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक 26.03.2020

आदरणीय प्रधामंत्री द्वारा 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन की उद्‌घोषणा के अनुसरण एवं गृह सचिव द्वारा जारी की गई गाईडलाईन के क्रम में 25.03.2020 से 14.04.2020 तक आरेडिका द्वारा कार्यालय एवं कारखाने को बंद करने के निर्देश दिये गए हैं। इस दौरान वर्क फ्रॉम होम एवं आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्य जारी रहेंगे।

महाप्रबंधक ने अपील की है कि सभी कर्मचारी एवं उनके परिवार अपने घर से अनावश्यक बाहर नही निकलें। उन्होंने यह भी कहा है कि आरेडिका भीड़–भाड़ से दूर स्थित है परन्तु जरा भी लापरवाही और ढील बरतने पर कोई भी विकट स्थिति उत्पन्न हो सकती है और कोरोना संक्रमण फैल सकता है।

उन्होंने सभी से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी जरूरी सावधानियॉ बरतने के एवं आवश्यकता अनुसार संसाधन का उत्तम उपयोग करने के लिए भी कहा है। साथ ही सभी को इस संकट के दौर में उत्साह और उम्मीद कायम रखने एवं एकदूसरे की परस्पर मदद तथा रक्षा करने के लिए उत्तप्रेरित किया है।

आरेडिका में इस समस्या से निपटने के लिए कारगर प्रबंध किये गये है। विशेषकर संविदा एवं रेल कर्मियों को संबंधित विभागों द्वारा निगरानी एवं संरक्षण में रखा जा रहा है। कॉलोनी एवं कारखाना परिसर में आवाजाही पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अकारण पर भ्रमण एवं आवाजाही पर कार्रवाई की जा सकती है।

स्थानिय प्रशासन की तर्ज पर आरेडिका स्थित शॉपिंग कॉम्पलेक्स में भी होम डीलवरी की व्यवस्था की गई है ताकि भीड़ एकत्रित होने से बचा जा सके। आरेडिका में 24x7 मेडिकल इमरजेंसी कन्ट्रोल रूम तथा उप महाप्रबंधक/सामान्य की निगरानी में कोविड समन्वय कन्ट्रोल कि स्थापना की गई है। समन्वय कन्ट्रोल द्वारा कोविड संबंधी दैनिक गतिविधियों की समीक्षा एवं अनुवर्ती कार्रवाई निर्देशित की जा रही है।

अमित
26.03.2020

(अमित कुमार सिंह)
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी